

C/P. 176/2016

08/07/2022

पत्रावली पेक्षा छुई वकील वादी उप. नही
वकील वादी को रक-रक कर 5.30 P.M. तक
आवाज लगवई गई। वकील वादी या उनका कोई
प्रतिनिदि उप. नही।

अतः वादी के वाद को अरम पेखी
अरम हाजरी में खारिज किया जाता है। अतः
पत्रावली पेखुम शुमार होकर पत्रावली नम्बर पे
कम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

